राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 पार्ट जयपुर दिनांक 05.05.2020

1. समस्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, राजस्थान
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

विषय :– समसंख्यक क्रियान्वयन आदेश दिनांक 02.05.2020 के संबंध में स्पष्टीकरण।

संशोधित लॉकडाउन (अवधि दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020) के क्रियान्वयन के क्रम में समसख्यक आदेश दिनांक 02.05.2020 के संबंध में प्राप्त सवालों के आधार पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:

1. **म्युनिसिपल क्षेत्रों में रेड/ओरेन्ज जोन के औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थित उद्योगों के संबंध मे**

   म्युनिसिपल क्षेत्रों में स्थित ऐसे एकल उद्योग जिनमें श्रमिक/कार्मिक परिसर के अन्दर ही निवास करते है तथा प्रवेश नियंत्रण है, खुल सकते है।

   शर्तें: ऐसे उद्योग सुरक्षा आदि की निर्दिष्ट शर्तो की पालना करेंगे तथा श्रमिक परिसर के अन्दर ही रहेगें।

2. **उद्योगों का व्यवधान–मुक्त संचालनः**

   गृह विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2020 के क्रियान्वयन आदेश में लॉकडाउन अवधि के लिए रेड/ओरेन्ज जोन में संचालित होने वाले उद्योगों के प्रकार एवं प्रकृति को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। ऐसे उद्योगों के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उक्त वर्णित आदेश में सभी नियम एवं शर्तें भी स्पष्टतः वर्णित की गयी है तथा पृथक गाईड लाईन्स की आवश्यकता नहीं है। रोकथान जोन (Containment Zone) में कोई उद्योग खुला नहीं रहेगा।

   तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा "अनुमत" श्रेणी के किसी भी उद्योग को, जिसके द्वारा निर्दिष्ट शर्तो की कोई अवहेलना नहीं की गयी है, के संचालन को किसी लिखित या मौखिक आदेश पर बंद नहीं किया जायेगा। अन्य किसी प्रकरण में यदि बंद करने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो जिला कलक्टर गृह विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

3. **नाप–तोल कांटा/धर्मकांटाः**

   सभी प्रकार के सामान एंव खनिज आदि का परिवहन अनुमत है। नाप–तोल कांटा/धर्मकांटा भी वस्तु/ उत्पादन परिवहन श्रृंखला का अभिन्न अंग है। अतः सुरक्षा प्रोटोकोल की आवश्यकता की अनुपालना करते हुए सभी नाप–तोल कांटे खुले रहने के लिए अनुमति है।

4. **श्रमिकों का एकबारीय परिवहनः**

   राज्य के अन्दर एक जिले (कोई भी जोन) से अन्य जिले (कोई भी जोन) में निर्माण कार्य या अनुमत श्रेणी के उद्योग के लिए कार्य स्थल पर ही ठहरने की शर्त के आधार एक बार श्रमिकों के परिवहन की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन अनुमति दी जा सकती है:

www.rajteachers.com

(1) नियोक्ता प्रतिबद्ध परिवहन (स्वंय/किराये) का वाहन उपलब्ध करायेगा।

(2) जिस जिले में कार्य स्थल/उद्योग अवस्थित है उसके जिला कलक्टर द्वारा अनुमति जारी की जायेगी। अनुमति की प्रतियॉ मार्ग में आने वाले जिलों के कलक्टर को प्रेषित की जायेगी।

(3) यात्रा के दौरान सभी निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों जैसे कि बसों का सेनेटाईजेशन, सामाजिक दूरी, चेहरे पर मास्क आदि की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(4) श्रमिकों का कार्य स्थल पर ही आवश्यक स्वच्छता एवं अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ निवासित कराया जायेगा।

(5) यह रेड/ओरेन्ज जोन्स के म्युनिसिपल क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिए लागू नहीं होगा जहां अनुमति केवल इन कार्यो के लिए ही है केवल ऐसे जहां श्रमिक पूर्व से ही परिसर के भीतर निवास कर रहे है।

5. **सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कोई आवागमन नहीं:**

निम्न को छूट रहेगी:

(1) पुलिस/जिला प्रशासन के कार्मिक जो फील्ड ड्यूटी पर सक्रिय है एंव सरकारी कर्मी जो लॉकडाउन के क्रियान्वयन से सीधे जुडे हुए है।

(2) शिफ्ट/आपात ड्यूटी पर कार्यरत् चिकित्सक/अन्य चिकित्सा/पैरामेडीकल स्टाफ (राजकीय/निजी)

(3) चिकित्सा आपात स्थिति में व्यक्ति (परिचारक साहित) और अन्य न्यायोचित आपवादिक आपात स्थिति

(4) बिन्दु संख्या 6 पर वर्णित शर्तो के अनुसार दवाई के दुकानों के स्वामी/स्टाफ

(5) ट्रकों का आवागमन

6. **सांय 6 बजे के पश्चात् खुले रह सकने वाले कार्य स्थल:**

(1) निरन्तर उत्पादन प्रकृति के कारखाने

(2) रात की पारी (शिफ्ट) वाले कारखाने

(3) आईटी और आईटीईएस कंपनियां

शर्तः पारी (शिफ्ट) का प्रबन्धन इस तरीके से किया जायेगा कि सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे के दौरान श्रमिक/कार्मिकों का सड़कों पर आवागमन नहीं हो और शिफ्टों का अन्तराल निर्धारित तरीके के अनुसार रखा जावे।

(4) दवा की दुकाने (Chemist Shops)

शर्तः मालिक/कार्मिकों द्वारा सांय 7 बजे के पश्चात् घर वापस जाने के लिए जिला प्रशासन/पुलिस से विशेष पास प्राप्त किये जायेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए की घर वापसी की यात्रा विशिष्ट है पास में व्यक्ति का नाम, वाहन नम्बर, दवा की दुकान की अवस्थिति (Location) तथा घर का पता अंकित किया जायेगा।

7. **निजी कार्यालयः**

कुछ ऐसी कम्पनियॉ है जिनका मुख्य कार्यालय म्युनिसिपल क्षेत्र के रेड/ओरेन्ज जोन के किसी एक शोरूम में है लेकिन वे जिलेएंव अन्य जिलों में जहां ऐसी गतिविधि अनुमत श्रेणी में है में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रबन्धन कर रहे है। ऐसे कर्यालय भी खुल सकेंगे।

www.rajteachers.com

शर्तें: केवल कार्यालय का भाग खुला रहेगा तथा शोरूम नहीं खुलेगा और ऐसे परिसरों से कोई विक्रय नहीं किया जायेगा। कार्यस्थलों के लिए निर्धारित सुरक्षा सावधानियों एंव 33 प्रतिशत स्टाफ की शर्तो की अनुपालना की जायेगी।

8. **अनुमत वाहन (Permitted Vehicles):**

रेड/ओरेन्ज जोन में अनुमत श्रेणी के व्यक्तिगत वाहनों के अतिरिक्त कम्पनियों को अपने स्टाफ को घर से कार्यालय लाने और कार्यालय से घर वापस ले जाने के लिए समर्पित वाहनों की अनुमति होगी। इनमें कम्पनी के निजी वाहन और किराये (अनुबन्धित वाहन(बस/कैब)) शामिल होगें।

शर्तें:

(1) ऐसे वाहनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(2) ऐसे वाहनों में सैनेटाईजेशन और सामाजिक दूरी की निर्धारित की गयी शर्तो की अनुपालना की जायेगी। चौपहियां वाहनों में वाहन चालक तथा अन्य दो व्यक्तियों से अधिक नहीं होगें।

(3) ऐसे वाहन मात्र कम्पनी के द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए किये गये अनुबन्ध जैसे कि ऊपर वर्णित स्टाफ आदि के आवागमन के लिए होगें।

9. **अन्तरराज्यीय अनुमति:**

अन्तरराज्यीय यात्रा की अनुमति मात्र गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए केवल जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट द्वारा दी जायेगी। ऐसी अनुमति किसी भी अन्य अधिकारी, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित जारी नहीं की जायेगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी केवल मोटर व्हीकल एक्ट की आवश्यकता के अनुसार परमिट जारी करेगे एंव लॉकडाउन अवधि के दौरान अन्तरराज्यीय यात्रा के लिए कोई परमिशन जारी नहीं करेंगे।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
4. सचिव, श्रम विभाग।
5. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि. जयपुर।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उपमहानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर।

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

www.rajteachers.com